भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3811

दिनांक 11 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

वन स्टॉप सेंटर योजना

3811. श्री जयंत सिन्हा:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) का औचित्य और मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) हिंसा से प्रभावित महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता सहित अनेक सेवाएं प्रदान करने की योजना के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) झारखंड सहित देश में ओएससी की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, जिला-वार कुल संख्या कितनी है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ग): सरकार 1 अप्रैल, 2015 से वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) स्कीम कार्यान्वित कर रही है ताकि हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक स्थान पर विविध एकीकृत सेवाएं प्रदान की जा सके। इन सेवाओं में पुलिस सुविधा, चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और कानूनी परामर्श प्रदान करना, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श और अस्थायी आश्रय शामिल हैं। अब तक, सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 801 वन स्टॉप सेंटर अनुमोदित किए गए हैं, जिनमें से झारखंड के सभी 24 जिलों सहित 733 ओएससी कार्यरत हैं, जिन्होंने मार्च, 2023 तक देश भर में 7.06 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की है। झारखंड सहित देश में ओएससी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जिला-वार कुल संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

नीति आयोग के माध्यम से वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) स्कीम सहित मंत्रालय की स्कीमों का तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया गया। अध्ययन में स्कीम की प्रासंगिकता, प्रभावशीलता और स्थिरता को संतोषजनक पाया गया। तृतीय पक्ष मूल्यांकन की सिफारिशों के आधार

पर, ओएससी स्कीम को 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग चक्र की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए मिशन शक्ति के तहत उप-स्कीम 'संबल' के एक घटक के रूप में शामिल किया गया है। मिशन शक्ति का उद्देश्य संस्थागत और अभिसरण तंत्र के माध्यम से एक मिशन मोड में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए क्रियाकलापों को मजबूत करना है। ओएससी को महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए जिला स्तर पर एक मुख्य आधार के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

इसके अलावा, सरकार ने हिंसा और संकट का सामना कर रही महिलाओं की मनोवैज्ञानिक-सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश भर के वन स्टॉप सेंटरों (ओएससी) के कार्मिकों को 'स्त्री मनोरक्षा' नामक परियोजना के तहत अवसंरचनात्मक और उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस) की सेवाएं ली हैं।

*****

अनुलग्नक

वन स्टॉप सेंटर योजना के संबंध में श्री जयंत सिन्हा द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3811 के उत्तर के भाग(क) से (ग) में उल्लेखित विवरण

देश में ओएससी, झारखंड सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिलेवार कुल संख्या निम्नानुसार है:

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित ओएससी वाले जिलों की संख्या	अनुमोदित ओएससी की संख्या	कार्यशील ओएससी की संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3	3	3
2	आंध्र प्रदेश	25	26	13
3	अरुणाचल प्रदेश	25	25	24
4	असम	35	36	34
5	बिहार	38	39	38
6	चंडीगढ़	1	1	1
7	छत्तीसगढ़	28	29	27
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	3	3	3
9	दिल्ली	11	11	11
10	गोवा	2	2	2
11	गुजरात	33	35	35
12	हरियाणा	22	22	22
13	हिमाचल प्रदेश	12	13	12
14	जम्मू और कश्मीर	20	20	20
15	झारखंड	***24***	***24***	***24***
16	कर्नाटक	30	40	30
17	केरल	14	14	14
18	लद्दाख-संघ राज्य क्षेत्र	2	2	2
19	लक्षद्वीप	1	1	1
20	मध्य प्रदेश	52	57	52
21	महाराष्ट्र	36	42	37
22	मणिपुर	16	16	16
23	मेघालय	12	12	11
24	मिजोरम	11	11	8
25	नागालैंड	11	11	11
26	ओडिशा	30	30	30
27	पुदुचेरी	4	4	4
28	पंजाब	23	23	22
29	राजस्थान	33	37	33
30	सिक्किम	4	4	4
31	तमिलनाडु	37	48	38

32	तेलंगाना	33	36	33
33	त्रिपुरा	8	8	8
34	उत्तर प्रदेश	75	79	75
35	उत्तराखंड	13	14	13
36	पश्चिम बंगाल	23	23	22
	कुल	**750**	**801**	**733**

*****